

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2017 का आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 1121

थाना कांड संख्या-207 वर्ष-2011 थाना-रोसेरा जिला- समस्तीपुर से उत्पन्न

शशि महतो पिता उमेश महतो, निवासी-ग्राम महाबीर अस्थान, थाना- रोसरा, जिला-
समस्तीपुर।

... ..याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रतिवादी/ओं

उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं की ओर से	:	श्री राजेंद्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जगधर प्रसाद, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री सुजीत कुमार सिंह, एपीपी
सूचनाकर्ता की ओर से	:	श्रीमती निवेदिता निर्विकार, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती मीरा कुमारी, अधिवक्ता श्रीमती शशि प्रिया, अधिवक्ता

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 374(2) के अंतर्गत दोषसिद्धि और सजा के विरुद्ध अपील -
मृत्यु पूर्व कथन - मृत्यु पूर्व कथन से विश्वास उत्पन्न होना चाहिए और यदि विसंगतियां हों
तो स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा पुष्टि होनी चाहिए - गवाहों की विश्वसनीयता - संबंधित या इच्छुक
गवाहों की गवाही की गहन जांच और स्वतंत्र पुष्टि की आवश्यकता होती है जब महत्वपूर्ण
विसंगतियां उत्पन्न होती हैं - दोषपूर्ण जांच - दोषपूर्ण जांच से अभियुक्त स्वतः दोषमुक्त नहीं
हो जाता, लेकिन संदेह उत्पन्न होता है जब अभियोजन पक्ष साक्ष्य की स्पष्ट श्रृंखला स्थापित
करने में विफल रहता है। निर्णय दिया गया - दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया गया
और अपीलकर्ता को अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर बरी कर दिया गया - अभियोजन पक्ष द्वारा
स्वतंत्र गवाहों और पुष्टि साक्ष्यों को प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता
को संदेह का लाभ दिया गया।

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तिथी:- 26-06-2024

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'सीआरपीसी' कहा जाएगा) की धारा 374(2) के तहत दायर की गई है, जिसमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रोसरा, समस्तीपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 177/2013 (रोसरा थाना केस संख्या 207/2011 से उत्पन्न जी.आर. संख्या 976/2011 के अनुरूप) के संबंध में पारित दिनांक 12.07.2017 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 18.07.2017 के सजा के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता/दोषी को आई.पी.सी. की धारा-302/34 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27(1) के तहत आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है तथा जुर्माना अदा न करने पर 6 (छह) माह के लिए आर.आई. भुगतने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उसे शस्त्र अधिनियम की धारा 27(1) के तहत अपराध के लिए 3 (तीन) वर्ष की आर.आई. तथा 10000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है तथा जुर्माना अदा न करने पर 3 (तीन) महीने की अतिरिक्त आर.आई. भुगतने का निर्देश दिया गया है। दोनों सजाएं एक साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

2. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र नारायण, श्री जगधर प्रसाद की सहायता से, प्रतिवादी-राज्य की ओर से विद्वान ए.पी.पी. श्री सुजीत कुमार सिंह और सूचक की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती निवेदिता निर्विकार, श्रीमती मीरा कुमारी और सुश्री शशि प्रिया की सहायता से सुनवाई की गई।

3. वर्तमान अपील दायर करने के लिए संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:

दिनांक 01/12/2011 को रात्रि लगभग 8:00 बजे, सूचक का पुत्र छोदू कुमार, उम्र लगभग 20 वर्ष, अपनी पुत्री रितु देवी के साथ दवाई खरीदने के लिए बाजार गया था। रात्रि करीब 08.15 बजे उनकी पुत्री रीतू देवी रोते हुए घर आई और चिल्लाते हुए बताया कि (1) शशि महतो, पिता-उमेश महतो, निवासी बालिका उच्च विद्यालय, रोसरा और (2)

अमरजीत कुमार साह, पिता-सुरेश साह, निवासी-लक्ष्मीपुर, दोनों थाना-रोसरा, जिला-समस्तीपुर वार्ड नं. 14 अंतर्गत पुराने अस्पताल के बगल में रमेश महतो की थोक दुकान (गद्दी) के पास पिस्तौल से माथे में गोली मार दी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों के हाथों में पिस्तौलें थीं। इस पर वह अन्य परिजनों के साथ दौड़कर आई तो देखा कि उसका बेटा छोदू कुमार रमेश महतो की थोक दुकान (गद्दी) के पास सड़क पर पड़ा है और उसके सिर पर चोट के निशान हैं तथा वह खून से लथपथ है। जब उसने अपने घायल बेटे से पूछा तो उसने कहा, "माँ, शशि महतो और अमरजीत साह ने मुझ पर गोली चलाई है।" फिर, परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से उसने अपने घायल बेटे को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए तत्काल उसे सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर कर दिया। वे छोदू कुमार को एम्बुलेंस से समस्तीपुर ले जा रहे थे, लेकिन उसके बेटे छोदू कुमार ने सिंधिया घाट पुल के पास दम तोड़ दिया। वह फिर एम्बुलेंस वैन से उप-मंडलीय अस्पताल लौट आई। भोला महतो, पिता स्वर्गीय विन्देश्वर महतो, निवासी-गर्ल्स हाई स्कूल रोसेरा, थाना-रोसेरा, जिला- समस्तीपुर की घटना में मुख्य भूमिका है। घटना का कारण शशि कुमार महतो और उनके परिवार के साथ कई वर्षों से चल रहा भूमि विवाद है। पिछले महीने भी शशि महतो ने उसकी बेटी के साथ मारपीट की थी, जिसके संबंध में मामला दर्ज किया गया था।

4. एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच एजेंसी ने जांच की और जांच के दौरान जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए और संबंधित दस्तावेज एकत्र किए और उसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया।

5. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र नारायण ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने केवल मृतक के नजदीकी रिश्तेदारों से ही पूछताछ की है जो कि हितबद्ध गवाह हैं। यह भी दलील दी गई कि पी.डब्लू. 3 प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। हालाँकि, उसे इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताया गया। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक द्वारा पी.डब्लू. 1 और पी.डब्लू. 2, जो मृतक के माता-पिता हैं, के समक्ष दिए गए तथाकथित मौखिक मृत्युकालिक कथन पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यह तर्क दिया गया कि जांच अधिकारी ने विशेष रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज किए थे, हालाँकि, स्वतंत्र गवाहों की जांच नहीं की गई है और इसलिए, प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि तथाकथित चश्मदीद गवाह पी.डब्लू.3 द्वारा दिया गया बयान चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार मृतक के शव का पोस्टमार्टम दिनांक 02.12.2011 को प्रातः

09:00 बजे किया गया था, अर्थात् घटना के 12 घंटे के भीतर। हालाँकि, डॉक्टर ने विशेष रूप से स्वीकार किया है कि मृत्यु का समय 36 घंटे के भीतर है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष ने उक्त निष्कर्ष पर विवाद नहीं किया है या उस बिंदु पर उक्त गवाह से दोबारा पूछताछ नहीं की है। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यक्षदर्शी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

5.1. तत्पश्चात विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष का यह विशिष्ट मामला है कि वर्तमान अपीलकर्ता ने अपनी पिस्तौल से गोली चलाई और एक गोली मृतक के माथे पर लगी, जबकि दूसरी गोली बाएं कान के पास लगी। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से दो गोलियां चलाई गईं। हालाँकि, इस स्तर पर, विद्वान वरिष्ठ वकील ने जांच अधिकारी पी.डब्ल्यू. 5 द्वारा दिए गए बयान का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने पिस्तौल का एक जिंदा कारतूस जब्त किया था, जिस पर के.एफ. 7.65 अंकित था और घटनास्थल से 303 का एक प्रक्षेप्य (सामने का हिस्सा) भी मिला था। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया कि 303 के एक प्रक्षेप्य की बरामदगी का मतलब है कि हमलावरों द्वारा एक अन्य आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल किया गया था और ऐसा नहीं है कि गोली केवल पिस्तौल से चलाई गई थी। इस स्तर पर, यह भी तर्क दिया गया है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने अदालत के समक्ष विशेष रूप से यह बयान दिया है कि मृतक के शव से दो गोलियां बरामद की गई थीं और उन्हें पुलिस कर्मियों को सौंप दिया गया था। हालाँकि, जांच एजेंसी ने घटनास्थल से बरामद की गई गोलियों और जिंदा कारतूस को आवश्यक जांच के लिए एफएसएल को नहीं भेजा है। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि घटनास्थल से 303 का एक प्रक्षेप्य बरामद होना, जिसे एक स्वतंत्र साक्ष्य कहा जा सकता है, प्रत्यक्षदर्शी पी.डब्ल्यू. 3 के माध्यम से अभियोजन पक्ष का यह सिद्धांत कि अपीलकर्ता द्वारा पिस्तौल से दोनों गोलियां चलाई गई थीं, पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया कि विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाए और उसे अलग रखा जाए, अपील स्वीकार की जाए और अपीलकर्ता को बरी किया जाए।

6. दूसरी ओर, सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती निवेदिता निर्विकार ने वर्तमान अपील का पुरजोर विरोध किया है। वह मुख्य रूप से यह कहना चाहती हैं कि पी.डब्ल्यू. 3 घटना का चश्मदीद गवाह है। उन्होंने विशेष रूप से वर्तमान अपीलकर्ता का नाम लिया है और अपीलकर्ता द्वारा निभाई गई भूमिका का विवरण दिया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यक्षदर्शी द्वारा दिया गया कथन चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित है क्योंकि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने के समय उसके शव से दो गोलियां

बरामद की गई थीं। इसके बाद यह तर्क दिया गया कि, सबसे ऊपर, मृतक ने अपने माता-पिता यानी पी.डब्लू. 1 और पी.डब्लू. 2 के समक्ष मौखिक मृत्युपूर्व बयान भी दिया है, जिसमें मृतक ने विशेष रूप से अपीलकर्ता का नाम लिया है और आरोप लगाया है कि अपीलकर्ता ही हमलावर है जिसने गोली चलाई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल इसलिए कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए संस्करण में मामूली विसंगतियां, विरोधाभास और/या अतिशयोक्ति है, अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को खारिज नहीं किया जा सकता है। इस स्तर पर, यह तर्क दिया गया है कि अन्य स्वतंत्र गवाह उस मुखबिर के डर के कारण अदालत के समक्ष नहीं आए हैं, जिसके खिलाफ आपराधिक पृष्ठभूमि है और इसलिए, केवल इसलिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्वतंत्र गवाहों की जांच नहीं की गई है, अपीलकर्ता को इसका लाभ नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता के आचरण को भी देखा जाना चाहिए। अपीलकर्ता हिरासत से फरार हो गया है और उसके बाद उसने कई अपराध किए हैं जिसके लिए उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। यह भी दलील दी गई है कि दो मामलों में उसे दोषी भी ठहराया जा चुका है। इस प्रकार, इस आधार पर भी वर्तमान अपील पर विचार नहीं किया जा सकता।

6.1. मुखबिर के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि यदि जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच में कोई कमी है, तो उक्त कमी/चूक का लाभ अपीलकर्ता अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता।

6.2. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है: एआईआर 2003 एससी 1164 (अमर सिंह बनाम बलविंदर सिंह एवं अन्य), एआईआर 2004 एससी 1920 (धनज सिंह उर्फ शोरा एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य) और (2023) 5 एससीसी 391 (रावसाहेब उर्फ रावसाहेबगौड़ा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य)।

6.3. यह भी तर्क दिया गया है कि पी.डब्लू. 4, डॉक्टर ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि मृत्यु में कठोरता मौजूद थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि मृत्यु में कठोरता दो घंटे के बाद शुरू होती है और 36 घंटे के बाद समाप्त होती है और इसलिए, जब डॉक्टर ने मृत्यु में कठोरता पाई, तो यह नहीं कहा जा सकता कि मृत्यु 36 घंटे से पहले हुई थी।

7. विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सुजीत कुमार सिंह ने अपील का विरोध किया है तथा सूचक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार किया है।

8. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य का भी अवलोकन किया है और प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का भी अवलोकन किया है।

9. इस स्तर पर, हम अभियोजन पक्ष द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए संपूर्ण प्रासंगिक साक्ष्य की सराहना करना चाहेंगे।

10. ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष ने 5 गवाहों की जांच की।

11. पी.डब्ल्यू. 1 बिष्णुदेव महतो मृतक के पिता हैं। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना करीब तीन साल पहले रात 8 बजे की है। वह अपने घर पर था। उसने रमेश महतो की गद्दी (थोक दुकान) से शोर सुना। उसकी बेटी दौड़ती हुई आई और अपनी मां को बताया कि शशि महतो ने उसके बड़े भाई को गोली मार दी है। वह सैलून के सामने पहुंचा और देखा कि उसका बेटा छोटा महतो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसने उसे बताया कि शशि महतो ने उसे गोली मार दी है। उन्होंने यह भी कहा कि शशि महतो के साथ तीन अन्य व्यक्ति भी थे। उन्होंने यह भी कहा कि तीन में से उन्होंने अमरजीत साह को पहचान लिया और दो अन्य को नहीं पहचान सके। इसके बाद प्रशासन की गाड़ी आई और उसके बेटे को सरकारी अस्पताल रोसरा ले गई। डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए उसे समस्तीपुर रेफर कर दिया, लेकिन समस्तीपुर ले जाते समय रास्ते में ही सिंधिया पुल के पास उसके बेटे ने दम तोड़ दिया। वह उसी की पहचान करता है (एक्स-1)। पुलिस ने अस्पताल में ही मृतक का पंचनामा तैयार किया था। उसने पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर किए थे। पुलिस ने उसका बयान भी दर्ज किया था। उसने अदालत में मौजूद आरोपी शशि महतो की पहचान की और अन्य आरोपियों की पहचान करने का दावा किया।

11.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि आरोपी शशि महतो के पिता ने उनकी जमीन पर अपना घर बना लिया है और बार-बार अनुरोध के बावजूद उन्हें उनका हिस्सा नहीं दिया। उनका हिस्सा करीब ढाई-तीन कट्ठा है। उन्होंने अपने हिस्से के लिए कोई केस नहीं किया। पंचनामा का कागज अभी उनके सामने नहीं है। उन्हें याद नहीं कि घटना वाली रात चांदनी रात थी या अंधेरी। सैलून (घटना स्थल) उनके घर से तीन-चार लग्गा पूर्व की ओर है। बीच में कई लोगों के घर हैं। सड़क के दोनों ओर 17-18 लोगों के घर हैं। वहाँ सिर्फ एक सैलून है। उसे सैलून का नाम नहीं पता। उसे सैलून के ठाकुर (मालिक) का नाम नहीं पता। उनके घर के बाद हंसीलाल सहनी, बासो सहनी, जगदीश सहनी, विध्यानंद सहनी, श्यामसुंदर लाल का घर और फिर स्कूल है। उपरोक्त में से कोई भी व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। उनकी बेटी रितु देवी की उम्र 20-21 साल है। उनका बेटा (मृतक) करीब आठ बजे घर से बाजार के लिए निकला था। बेटी रितु भी शाम करीब 7:45 बजे कुछ सामान खरीदने बाजार गई थी। उनकी पत्नी दो-तीन दिन से बीमार थी, जिसके लिए उनकी बेटी दवा लेने गई थी। जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो उनका बेटा पूर्व-पश्चिम दिशा में पड़ा हुआ था। उसका माथा पूर्व दिशा में था और पैर पश्चिम दिशा में। उसने टेरी-कॉटन पैंट और

हाफ शर्ट पहनी हुई थी। खून एक हाथ के दायरे में जमीन पर गिरा हुआ था। खून गड्ढे में भी गिरा हुआ था। उसके बेटे की कनपटी पर घाव था। उसे याद नहीं कि घाव बाईं तरफ था या दाईं कनपटी पर। घाव कान से दो अंगुल ऊपर था, जिससे खून निकल रहा था। उसने लड़के को छुआ तक नहीं। खून बहना बंद नहीं हुआ। उसके अलावा कोई और नहीं आया। उसकी पत्नी ने प्रशासन को सूचना दे दी थी। वह घर पर ही था जब उसकी पत्नी भागकर पुलिस स्टेशन गई। वह अपने बेटे के पास ही रहा। उसके बाद उसने बताया कि उसकी पत्नी सबसे पहले बेटे के पास पहुंची। तभी वह आ गया। दरोगा जी (एसआई) अपनी गाड़ी में आए थे। दरोगा जी ने तुरंत लड़के को उठाया और अस्पताल ले गए। उन्होंने बताया कि घटनास्थल के पास सड़क पक्की है। सैलून भी बंद था। बगल की दुकान भी बंद हो गई थी। घटना होते ही सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर चले गए। उनका बेटा एक घंटे तक जिंदा रहा। उसके बेटे ने शशि महतो और अमरजीत साह का नाम लिया था और कहा था कि वह दो अन्य को पहचान नहीं सका। रोसरा से समस्तीपुर जाते समय एक पुलिस वाला मिला। पुलिस ने उसकी पत्नी को एक कागज दिया था। उसने इस बात से इनकार किया है कि आरोपी शशि महतो को जमीन विवाद के कारण फंसाया गया है और जैसा कि उसने कहा है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

12. पी.डब्ल्यू. 2 चन्द्रकला देवी मृतक की माँ है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना तीन वर्ष पूर्व रात्रि 08:00 से 08:15 बजे के बीच हुई थी। वह घर पर थी तथा उसने अपने बेटे छोदू कुमार को बाजार से दवा खरीदने के लिए भेजा था। उसकी बेटी रितु देवी भी उसके साथ गई थी। रितु देवी घर के पास आई और चिल्लाने लगी कि शशि महतो ने छोदू को गोली मार दी है। वह भागती हुई घटनास्थल पर गई जो रमेश बाबू की थोक दुकान (गद्दी) के सामने वाली सड़क है। जब वह घटनास्थल पर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बेटा जमीन पर पड़ा है और उसे गोली लगी है। छोदू कह रहा था, "शशिय्या ने मुझे गोली मार दी है, अब मैं बचूंगा नहीं"। घटनास्थल पर दो अपराधी मौजूद थे। गोली शशि महतो ने चलाई थी। दूसरा अपराधी अमरजीत साह था। गोली चलाने के बाद शशि महतो भाग गया। वह थाने पहुंची, लेकिन घटनास्थल पर रोसरा पुलिस मौजूद थी। छोदू कुमार को पुलिस वाहन से रोसरा सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने छोदू कुमार को समस्तीपुर रेफर कर दिया। वे छोदू को एम्बुलेंस से समस्तीपुर ले जा रहे थे। जब वे शिंधिया पुल के पास पहुंचे तो उसके बेटे की मौत हो गई। फिर वे वापस रोसरा अस्पताल लौट आए। उनके पति और बेटी रितु देवी भी उनके साथ थे। पुलिस ने रोसरा अस्पताल में उनका बयान लिया। इंस्पेक्टर ने उन्हें वही बयान पढ़कर सुनाया। इसे सही पाते हुए उसने पति के सामने बयान पर अपना अंगूठा लगाया। उसके पति ने भी उस पर हस्ताक्षर किए। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार किया। पंचनामा उसके सामने तैयार किया गया। पुलिस ने

उसका दोबारा बयान लिया जिसमें उसने अपना पुराना बयान दोहराया। उसने कोर्ट में मौजूद आरोपी शशि महतो की पहचान गोली चलाने वाले अपराधी के रूप में की है। दूसरा आरोपी फरार है, लेकिन उसका दावा है कि वह उसे चेहरे से पहचानती है।

12.1 बचाव पक्ष की ओर से जिरह में उसने बताया कि उसने पुलिस को यह भी बताया था कि पिछले महीने भी शशि महतो ने उसकी बेटी और उसके साथ मारपीट की थी, जिसके संबंध में उसने थाने में मामला दर्ज कराया था। हालांकि, उसे पिछली घटना की तारीख या दिन याद नहीं है। आरोपी शशि महतो या उसके परिवार के साथ कोई जमीन विवाद नहीं है। उसने इस बात से इनकार किया है कि उसने पुलिस को दिए *फर्दबयान* में कहा था कि घटना का कारण शशि महतो और उसके परिवार के साथ कई वर्षों से चल रहा जमीन विवाद है। उसके परिवार का शशि महतो से कोई संबंध नहीं है।

12.2. अपनी आगे की जिरह में उसने बताया कि उसकी बेटी ने उसे बताया था कि शशि महतो ने उसके बेटे को गोली मारी है। गोली चलने के समय वह घर पर थी। जब वह घटनास्थल पर पहुंची तो आरोपी शशि महतो गोली चलाने के बाद सड़क पार भाग रहा था। उसकी बेटी ने गोली चलाने वाले के रूप में शशि महतो का नाम लिया था। उसका बेटा और बेटी उसके लिए दवा लेने बाजार गए थे। घटना के चार दिन पहले से वह बीमार थी। उसे बुखार और शरीर में दर्द हो रहा था। उन्होंने किसी डॉक्टर से सलाह नहीं ली, बस दवा ले रही थीं। जैसे ही उन्हें गोली चलने की खबर मिली, वे घर से अकेली निकल गईं। उनके साथ मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति नहीं था। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके परिवार में उनके बेटे और बेटी के अलावा उनके पति हैं। घटना वाले दिन उसका पति घर पर ही था। उसका पति भी उसके साथ घटनास्थल पर पहुंचा। घटनास्थल पर सबसे पहले उसकी बेटी पहुंची। वह अपनी बेटी के पीछे पहुंची, उसके बाद उसका पति भी पहुंचा। वह भगवान दास पुत्र रामसुंदर दास को नहीं जानती। विशुनदेव महतो उनके पति हैं। वह भोला प्रसाद राय पुत्र रामाश्रय राय को नहीं पहचानती है। वह धीरज कुमार कामली को भी नहीं पहचानती। उसके बेटे की मौत सिंधिया पुल पर हो गई। घटना के एक घंटे बाद उसकी मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर कई लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे, लेकिन डर के मारे उन्होंने लाइट बंद कर दी और भाग गए। उसका बेटा (मृतक) पूर्व दिशा की ओर जा रहा था और आरोपी शशि महतो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आ रहा था। गोली एक हाथ की दूरी से चलाई गई थी। उसके बेटे को दो गोलियां लगी थीं। एक गोली उसके माथे के बाईं ओर लगी थी। दूसरी गोली उसके बाएं कान में लगी। *पोस्टमार्टम* के समय डॉक्टर ने गोलियां निकाल ली थीं। डॉक्टर ने गोली पुलिस को दे दी। गोली लगने के बाद उसके बेटे का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। उसके बेटे का शव *पोस्टमार्टम* के बाद सौंप दिया गया। कपड़े अभी भी

शरीर पर थे। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि दोनों गोलियां आरोपी शशि महतो ने चलाई थीं। उसने इस बात से इनकार किया है कि उसने *फर्दबयान* और अपने दोबारा बयान में अन्य आरोपियों के नाम नहीं लिए हैं। उसने आगे कहा है कि आरोपी शशि महतो के पिता उमेश महतो उसके पति के भतीजे हैं। उसने इस बात से इनकार किया है कि उसने घटना का कोई भी हिस्सा नहीं देखा था और उसने झूठा दावा किया था कि उसने आरोपी को अपराध करने के बाद भागते हुए देखा था और जैसा कि उसने कहा है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।

13. पी.डब्ल्यू.3 रितु देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना तीन वर्ष चार माह पूर्व घटित हुई थी। रात्रि के 8:00 बजे थे। वह अपने छोटे भाई छोदू के साथ दवा लेने बाजार गई थी। जब दोनों दवा खरीद कर लौट रहे थे और रमेश बाबू की थोक दुकान (गद्दी) के पास पहुंचे तो आरोपी शशि महतो और अमरजीत साह आये और आरोपी शशि महतो ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाल कर मेरे भाई छोदू कुमार पर दो गोलियां चला दी। एक गोली सिर में लगी और दूसरी कनपटी पर। उसका भाई खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने शोर मचाया कि उसके भाई को गोली मार दी गई है। इस बीच उसकी मां भी वहां पहुंच गई। उस समय उसका भाई जिंदा और होश में था। उसके भाई ने अपनी मां को बताया कि शशि महतो ने उस पर गोली चलाई है और अब वह नहीं बचेगा। इसी बीच पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने उसके घायल भाई को उठाया और उसे अनुमंडलीय अस्पताल रोसरा ले गई। रोसरा से उसके भाई को समस्तीपुर रेफर कर दिया गया। वह, उसकी मां, पिता और पुलिस उसके घायल भाई को बेहतर इलाज के लिए रोसरा से समस्तीपुर ले जाने लगे, लेकिन जब तक वे सिंधिया पुल के पास पहुंचे, उसके भाई छोदू की मौत हो गई। इसलिए वे वहां से सब-डिविजनल अस्पताल, रोसरा लौट आए। रोसरा अस्पताल में उसके मृतक भाई का *पोस्टमार्टम* किया गया। उसके पिता ने जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए। उक्त घटना से बाईस दिन पूर्व आरोपी शशि महतो ने उनके साथ मारपीट की थी तथा धमकी भी दी थी कि वह उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ेगा। उक्त घटना का मामला भी दर्ज किया गया था। उक्त घटना में वह तथा उसकी मां भी घायल हुई थीं तथा मामला अभी भी चल रहा है। इसी कारण उसके भाई की हत्या कर दी गई।

13.1. जिरह में उसने (क्रोधित स्वर में) कहा है कि आरोपी शशि महतो उसका सगा नहीं है और न ही उसके परिवार का उससे कोई संबंध है। उसने पुलिस को यह नहीं बताया कि दोनों आरोपी यानी अमरजीत साह और शशि महतो ने अपनी पिस्तौलें निकालकर उसके भाई पर गोली चलाई। वह इस बात से इनकार करती है कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि पुलिस की गाड़ी आई थी और पुलिस उसके भाई को रोसरा के सबडिविजनल

अस्पताल ले गई थी। उसने पुलिस को यह बताने से इनकार किया है कि वह रोती-चीखती घर गई और अपनी मां को घटना के बारे में बताया। उसने इस बात से भी इनकार किया है कि उसकी मां और वह तुरंत वहां आ गए थे। उसने बताया कि किसी डॉक्टर ने दवा नहीं लिखी थी। उसने बताया कि गोली लगने के बाद दुकानें बंद होने लगीं। गोली लगने तक सभी दुकानें खुली थीं। कोई दुकानदार घटनास्थल पर नहीं आया। गोली लगने के करीब एक घंटे बाद उसके भाई की मौत हो गई। गोली लगने से काफी खून बह गया था। सड़क पर खून बिखरा हुआ था। पिस्तौल देखकर वह चिल्लाई। चिल्लाने पर कोई नहीं आया। पिस्तौल देखकर वह डरी नहीं। गोली लगने के बाद उसका भाई रोसरा अस्पताल में एक घंटे से भी कम समय तक रहा। पुलिस रोसरा अस्पताल में उसके भाई का बयान नहीं ले सकी क्योंकि वह बोलने में सक्षम नहीं था। उसके बाद भी वह कभी बोल नहीं पाया। गोली लगने के कुछ देर बाद तक वह सिर्फ इशारा ही कर पा रहा था। उसने अपने माता-पिता को आरोपी शशि महतो द्वारा उसके भाई को गोली मारे जाने की बात बताई थी। उसके भाई को सामने से गोली मारी गई थी। गोली उसके सिर में बिल्कुल नजदीक से मारी गई थी, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाया। दो गोलियां मारी गई थीं। एक गोली कनपटी पर और दूसरी माथे पर। गोली बायीं कनपटी पर लगी थी। दोनों गोलियां बायीं तरफ लगी थीं। दोनों गोलियां भाई के शरीर में फंसी रहीं, जिन्हें *पोस्टमार्टम* के दौरान निकाल दिया गया। चूंकि आरोपी ने उसके भाई की हत्या कर दी है, इसलिए अब उनका उससे कोई संबंध नहीं है। शशि महतो के पिता उसके भाई थे। आरोपी शशि महतो उसके परिवार से नहीं है। उसका घर उसके पिता के घर से कुछ दूरी पर है। उसे आरोपी के साथ किसी भी जमीन विवाद के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस के सामने यह नहीं बताया कि शशि महतो के साथ लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा था। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उनके द्वारा बताई गई ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और उन्होंने झूठे साक्ष्य दिए हैं।

14. पी.डब्ल्यू. 4 डॉ. राकेश चंद्र सहाय वर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में निम्न प्रकार कहा है:

(1) दिनांक 02.12.2011 को मैं चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल अस्पताल, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित था तथा दिनांक 02.12.2011 को प्रातः 9.00 बजे मृतक छोदू कुमार पुत्र बिशुनदेव महतो, बालिका उच्च विद्यालय, रोसरा, वार्ड संख्या 14, थाना, रोसरा, समस्तीपुर के शव का पोस्टमार्टम एक पर्यवेक्षक डॉ. राजेश कुमार की उपस्थिति में किया तथा शव पर बाह्य रूप से निम्नलिखित मृत्युपूर्व चोटें पायी गयीं:-

(i) मृत शरीर में कठोरता।

(ii) घाव के चारों ओर कालापन के साथ दो फटे हुए घाव:-

सिर के ऊपर (क) आधा इंच व्यास का एक फटा हुआ घाव, सिर के दाहिने टेम्पोरल क्षेत्र पर कालापन लिए हुए, (ख) आधा इंच व्यास का एक फटा हुआ घाव, दाहिने कान के सामने घाव के चारों ओर कालापन लिए हुए, ट्रागस के सामने, जिसमें रक्तस्राव के साक्ष्य हैं।

आंतरिक रूप से:-

(i) अंतःकपालीय रक्तस्राव।

(ii) खोपड़ी की दाहिनी टेम्पोरल अस्थि का विखंडित फ्रैक्चर।

(iii) सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी मस्तिष्क पदार्थ में गंभीर चोट और घाव (कपाल गुहा से दो कारतूस बरामद किए गए और सीलबंद और उचित स्तर वाले कंटेनर में पुलिस कर्मियों को सौंप दिए गए)।

(iv) अन्य सभी विसरा पीले हो गए।

मृत्यु के बाद का समय - 36 घंटे के भीतर।

राय-- हमारी राय में, उपरोक्त मृतक की मृत्यु महत्वपूर्ण अंगों पर गंभीर चोटों, आग्नेयास्त्र की चोटों के कारण हुई है, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और सदमे में आ गया। इस्तेमाल किया गया हथियार-- आग्नेयास्त्र हथियार, जैसे पिस्तौल ।

(2) यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे द्वारा लिखी गई है और इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं तथा साथ ही उपरोक्त पर्यवेक्षक डॉ. रंजेश कुमार के हस्ताक्षर भी हैं। इसे एक्सटेंशन 2 के रूप में चिह्नित करें।

14.1. अपनी जिरह में उन्होंने निम्नलिखित बातें कही हैं:

(3) मृत्यु के बाद से 36 घंटे के भीतर का समय अर्थात मृतक की मृत्यु 36 घंटे से पहले हुई है

(4)/ खून बहने के सबूत थे। कोई बाहर निकलने वाला घाव नहीं था, लेकिन प्रवेश घाव पर दोनों चोटों में खून बह रहा था।

(5) मैंने यह उल्लेख नहीं किया है कि खून सूख गया था या जम गया था।

(6) मैंने अपनी रिपोर्ट में चोटों के आयाम के बारे में उल्लेख किया है। चोट के आयाम में लंबाई और चौड़ाई और गहराई भी शामिल है।

(7) प्रश्न:- आग्नेयास्त्र से लगी चोटों में, झुलसना और कटे दाग का निशान होना आवश्यक है?

उत्तर:- यह फायरिंग की दूरी पर निर्भर करता है।

(8) यदि कम दूरी से फायरिंग की जाए तो जलाना और गोदना जरूरी है, लेकिन लंबी दूरी से फायरिंग करना संभव नहीं है।

(9) वर्तमान मामले में यह आकलन करना बहुत कठिन है कि गोलीबारी कितनी दूरी से की गई थी।

(10) वर्तमान मामले में मैं यह नहीं कह सकता और यह कहना बहुत मुश्किल है कि वास्तव में गोलीबारी कितनी दूरी से की गई थी।

11) शरीर पर हमेशा बारूद का होना जरूरी नहीं है

(12) मैंने अपनी रिपोर्ट में किसी भी बारूद की मौजूदगी का उल्लेख नहीं किया है।

(13) जीवित शरीर में रक्तस्राव संभव है।

(14) मैंने अपनी रिपोर्ट में किसी भी विच्छेदन के बारे में उल्लेख नहीं किया है।

(15) मैंने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया है कि मैंने मृतक के शरीर पर सूखा या थक्कादार खून देखा था।

(16) यह सच नहीं है कि मेरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सच नहीं है और यह सिर्फ एक टेबल वर्क है।

15. पी.डब्ल्यू. 5 बिनोद राम ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि 1/12/2011 को वह रोसरा थाने में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थापित था। 01/12/2011 को तत्कालीन थानाध्यक्ष रोसरा श्री अमर विश्वास ने श्रीमती चन्द्रकला देवी का फर्दबयान दर्ज किया था। यह *फर्दबयान* श्री अमर विश्वास, तत्कालीन एसएचओ, रोसरा की हस्तलिपि और हस्ताक्षर में है, जिसे वे पहचानते हैं (प्रदर्श-3) और वे श्री अमर विश्वास (प्रदर्श-4) के समर्थन को भी पहचानते हैं। उन्होंने औपचारिक एफ.आई.आर. (प्रदर्श-5) पर उपर्युक्त एस.एच.ओ. श्री अमर विश्वास के हस्ताक्षर की भी पहचान की है। उन्होंने 01.12.2011 को तत्कालीन एस.एच.ओ., रोसरा श्री अमर विश्वास से जांच का प्रभार लिया था। गौरतलब है कि तत्कालीन एसएचओ को गर्ल्स हाई स्कूल रोसरा के पास फायरिंग की घटना की अफवाह मिली थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। इसके बाद वे तत्कालीन एसएचओ के साथ गर्ल्स हाई स्कूल रोसरा के पास गए। 01/12/11 को 20:45 बजे एसएचओ के आदेशानुसार, उन्होंने घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस बरामद किया जो पिस्तौल का प्रतीत हो रहा था, जिसके नीचे के भाग पर केएफ 7.65 अंकित था, और 303 की एक एग्जॉस्ट

गोली का अगला भाग भी बरामद किया। उन्होंने इसकी जब्ती सूची तैयार की, जिस पर उन्होंने गवाह के तौर पर भोला पंडित राय और धीरज कुमार कामती के हस्ताक्षर प्राप्त किए। जब्ती सूची (एक्स-6) उनकी हस्तलिपि और हस्ताक्षर में है, जिसे वे पहचानते हैं। वे गवाह भोला पंडित राय और धीरज कुमार कामती के हस्ताक्षर भी पहचानते हैं। जांच का जिम्मा संभालने के बाद उन्होंने 02/12/2011 को रितु देवी के घर पर जाकर उसका बयान दर्ज किया। उन्होंने आरोपी शशि महतो के घर पर छापा मारा। उन्होंने 02/12/2011 को ही गवाह दिनेश ठाकुर का बयान दर्ज किया। उन्होंने उसी दिन गवाह अनिल कुमार और सूचक चंद्रकला देवी का बयान भी दर्ज किया। इसके अलावा गवाह नरेश सहनी और मनीष कुमार झा का बयान भी दर्ज किया। वे उसी दिन घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पैरा-16 और 17 में उन्होंने अभियुक्त शशि महतो और अमरजीत कुमार साह के आपराधिक इतिहास का सारणीबद्ध विवरण दिया है। दिनांक 12/12/2011 को गुप्त सूचना मिली कि प्राथमिकी अभियुक्त बखरी स्थित अपने ससुराल में छिपा हुआ है। उसी दिन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मिथिलेश कुमार सशस्त्र बलों के साथ बखरी थाना पहुंचे और स्थानीय थाना के सहयोग से अभियुक्त शशि महतो को बखरी से ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी शशि महतो का इकबालिया बयान 13/12/2011 को रोसरा थाने में दर्ज किया गया। आरोपी शशि महतो कोर्ट में मौजूद है, जिसे उसने गिरफ्तार किया था। उसने गवाहों जितेन्द्र कुमार और ललन ठाकुर का बयान 16/12/2011 को दर्ज किया। उसे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का पर्यवेक्षण नोट 02/01/2012 को मिला जिसे उसने केस डायरी में दर्ज किया। उन्होंने दिनांक 09/01/2012 को माननीय न्यायालय से अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया ताकि जब्त किए गए प्रदर्श को आवश्यक विश्लेषण हेतु एफ.एस.एल. को भेजा जा सके। न्यायालय से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 10/01/2012 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से जब्त किए गए प्रदर्श को एफ.एस.एल., पटना भेज दिया गया।

15.1. अपनी जिरह में उन्होंने बताया कि इस मामले का फर्दबयान 01/12/2011 को 22:15 बजे दर्ज किया गया था। उन्हें उसी तारीख को 22:30 बजे जांच का प्रभार मिला था। उन्होंने जांच रिपोर्ट 01/12/2011 को 22:00 बजे तैयार की थी। यानी यह रिपोर्ट जांच का प्रभार लेने से आधे घंटे पहले तैयार की गई थी। उन्होंने जब्ती सूची 01/12/2011 को 20:45 बजे तैयार की थी। जांच प्रभार लेने से पहले भी वे घटनास्थल पर गए थे। उनकी डायरी में किसी स्टेशन डायरी का उल्लेख नहीं है। चार्जशीट दाखिल होने तक उन्हें जिंदा कारतूस और इस्तेमाल की गई गोली की एफएसएल रिपोर्ट नहीं मिली थी। उन्होंने बरामद गोली-कारतूस को जांच के लिए

सीनियर अटेंडेंट के पास नहीं भेजा। हालांकि उन्हें घटनास्थल पर खून के निशान मिले थे, लेकिन उन्होंने केस डायरी में इसका उल्लेख नहीं किया है। सूचक (महिला) ने अपने पुनः बयान में कहा है कि अभियुक्त शशि कुमार महतो के साथ भूमि विवाद कई वर्षों से चल रहा है तथा शशि महतो उसकी भूमि हड़पने का प्रयास कर रहा है। कंडिका-3 में मृतक के सिर पर पट्टी बंधे होने का उल्लेख है, परंतु रक्तस्राव का उल्लेख नहीं है। डायरी के कंडिका 11 में लिखा है कि रात्रि होने के कारण पर्याप्त प्रकाश न होने के कारण घटनास्थल डायरी में अंकित नहीं किया जा सका। तंबाकू दुकानदार अनिल कुमार ने अपने बयान में कहा था कि घटना के समय वह तंबाकू बेच रहा था। बाद में उसे पता चला कि शशि महतो ने गोली चलाई है। गवाह नरेश सहनी ने अपने बयान में कहा था कि घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और दो लोग महावीर चौक की ओर भाग गए। मृतक के पिता विष्णुदेव महतो ने बताया कि उन्हें अपनी बेटी से सूचना मिली कि उनके बेटे को शशि महतो ने गोली मारी है। घटनास्थल के आसपास घनी बस्ती है। उन्होंने घटनास्थल से ही बरामद गोलियां और कारतूस जब्त कर लिए हैं। घटनास्थल या उसके आसपास हिंसा के निशान मिले हैं, लेकिन डायरी में इसका जिक्र नहीं किया है। गोलीबारी के बाद घटनास्थल के आसपास की दुकानें बंद हो गईं। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उनकी जांच में खामियां हैं और जमीन विवाद के चलते आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया, जबकि वह निर्दोष है।

15.2. पुनः शपथ पर पुनः परीक्षण में उन्होंने कहा है कि 01/12/2011 को उन्होंने घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस बरामद किया था, जिस पर KF 7.65 अंकित था, जो पिस्तौल का प्रतीत होता था, तथा 303 गोली का अगला भाग, जो कि एग्जॉस्ट बुलेट का था, तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, रोसरा की अनुमति से, उसे सीलबंद बॉक्स में समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से एफएसएल, पटना को भेजा गया था। जांच के बाद भेजी गई सामग्री उन्हें फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, पटना से जांच पूरी करने के बाद प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने रोसड़ा थाने के स्टोर रूम (मालखाना) में सुरक्षित रख दिया था। उन्होंने सीलबंद बॉक्स की पहचान कर ली है, जिस पर सहायक निदेशक, एफएसएल, पटना का हस्ताक्षर है, जिसका एफएसएल नंबर 11/12 है, लेकिन वे सहायक निदेशक के हस्ताक्षर या लिखावट को नहीं पहचानते हैं। इस सीलबंद डिब्बे पर आपत्ति के साथ प्रदर्श 'एक्स' अंकित था। उन्होंने उस जिंदा कारतूस की भी पहचान की जिस पर के.एफ 7.65 लिखा है, जिसे उन्होंने बरामद कर लिया था और जांच के लिए एफ.एस.एल विभाग को भेज दिया था। इसे आपत्ति के साथ प्रदर्श 'एम' अंकित किया गया है। उन्होंने फायर की गई

गोली के खाली खोल की भी पहचान की है, जिसे उन्होंने बरामद किया था और जांच के लिए एफ.एस.एल. विभाग को भेजा था, जिस पर आपत्ति के साथ प्रदर्श-एम/1 अंकित है।

15.3. अपनी पुनः जिरह में उन्होंने बताया कि डायरी के अनुसार उन्होंने 01/12/2011 को 20:45 बजे जब्ती सूची तैयार की थी। उक्त गोली घटनास्थल से बरामद की गई थी। जब्ती सूची तैयार करते समय प्रकाश के स्रोत का उल्लेख डायरी में नहीं किया गया है। उसने घटनास्थल के पास से ही उपरोक्त दोनों गोलियां बरामद की थीं। दोनों गोलियां एक दूसरे से कितनी दूरी पर पड़ी थीं, इसका डायरी में उल्लेख नहीं है। उसने गोली को स्ट्रीट लाइट और टॉर्च की रोशनी में भी देखा था, लेकिन उसकी डायरी में इसका कोई उल्लेख नहीं है। उसने बरामद की गई सामग्री को एक पॉलीथिन बैग में अपने पास रख लिया था, लेकिन डायरी में इसका उल्लेख नहीं है। यह सामग्री एक दिन तक मेरे पास रही। थाने जाकर जब्त कारतूसों को थाने के स्टोर रूम में सुरक्षित रख दिया। दिनांक 09/01/2012 को उन्होंने उक्त जब्त सामग्री को विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, रोसरा के न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसे एक सुगंधित तंबाकू (जर्दा) के डिब्बे में सील करके न्यायालय में पेश किया गया और न्यायालय में खोलकर दिखाया गया तथा न्यायालय द्वारा इसे पुनः सील कर दिया गया। इसे न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा सील किया गया। जिस सीलबंद डिब्बे में वह कारतूस आज न्यायालय में लाया है, उसी डिब्बे में उसे रखा गया था। इस बक्से पर न तो न्यायालय की मुहर है और न ही हस्ताक्षर है और न ही इस पर उनके हस्ताक्षर हैं। इस पर केवल एफ.एस.एल. विभाग के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उपरोक्त सामग्री का इस मामले से कोई संबंध नहीं है और इसकी जांच एफ.एस.एल. में नहीं की गई है और न ही उनके द्वारा बताई गई ऐसी कोई घटना घटी है।

16. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन किया है। हमने रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया है।

17. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने मृतक के पिता, माता और बहन से पूछताछ की है। इस प्रकार, वे इच्छुक गवाह हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा किसी अन्य स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। यह सच है कि केवल इसलिए कि गवाह निकट संबंधी या इच्छुक गवाह हैं,

केवल इस आधार पर उनके बयान को खारिज नहीं किया जा सकता, तथापि, ऐसे बयान की बारीकी से जांच की जानी आवश्यक है।

17.1 अभिलेख से यह पता चलता है कि विचाराधीन घटना रात्रि 08:15 बजे (20:15 बजे) घटित हुई। सूचक, पी.डब्लू. 2 का बयान 22:15 बजे अनुमंडलीय अस्पताल, रोसरा में दर्ज किया गया। यदि उक्त बयान की सावधानीपूर्वक जांच की जाए तो पता चलता है कि सूचक का विशेष मामला यह है कि उसका पुत्र और पुत्री दवा खरीदने के लिए बाजार गए थे और उसके बाद जब सूचक अपने घर में था, तो उसकी पुत्री चिल्लाते हुए आई और बताया कि शशि महतो ने सूचक के पुत्र पर गोली चलाई है और उक्त घटना में सूचक के पुत्र के सिर पर चोटें आई हैं और दोनों हमलावरों के हाथ में पिस्तौल थी। उक्त सूचना प्राप्त होने के पश्चात सूचक अपने परिजनों के साथ घटनास्थल पर पहुंची तथा वहां पहुंचकर देखा कि उसका पुत्र छोट्ट घायल अवस्था में है। फर्दबयान में आगे कहा गया है कि उसने अपने पुत्र से पूछा कि घटना कैसे घटी। तब उसने बताया कि शशि महतो एवं अमरजीत कुमार साह ने उस पर गोली चलाई है। तत्पश्चात घायल को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल रोसड़ा ले जाया गया, जहां से संबंधित चिकित्सक ने घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए समस्तीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि, जब उन्हें एम्बुलेंस में उक्त अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में ही उनकी मौत हो गई और उसके बाद वे एम्बुलेंस में वापस उप-मंडलीय अस्पताल पहुंचे।

17.2. उपरोक्त फर्दबयान को ध्यान में रखते हुए, यदि पी.डब्लू. 1 द्वारा दिए गए बयान की सावधानीपूर्वक जांच की जाए, तो यह पता चलता है कि पी.डब्लू. 1 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी बेटी यह कहकर घर आई थी कि शशि महतो ने उसके भाई पर गोली चलाई है, इसलिए वह घटनास्थल पर गया और अपने बेटे से घटना के बारे में पूछा। यह उसका विशिष्ट मामला है कि उसके बेटे ने उसे बताया कि “शशि महतो ने मुझ पर गोली चलाई है।” उन्होंने यह भी बताया कि शशि महतो के साथ तीन अन्य बदमाश भी थे। छोट्ट महतो ने दूसरे बदमाश का नाम अमरजीत साह बताया। उन्होंने यह भी बताया कि वह दो अन्य बदमाशों की पहचान नहीं कर सका।

17.3. इस प्रकार, पी.डब्लू. 1 द्वारा दिए गए उपरोक्त बयान से यह कहा जा सकता है कि घायल ने घटना के तरीके और हमलावरों की संख्या के बारे में बताया है।

18. इस स्तर पर, हम पी.डब्लू. 2, मुखबिर, जो मृतक की मां है, द्वारा दिए गए बयान का उल्लेख करना चाहेंगे कि उसकी बेटी घर के पास आई और उसके बाद उसने बताया कि शशि महतो ने छोटू पर गोली चलाई है। इसलिए, वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जब उसने अपने बेटे से पूछा, तो उसने कहा कि "शशिय्या ने गोली मार दी है, अब मैं नहीं बचूंगा।" घायल ने पी.डब्लू. 2 को आगे बताया कि दो आरोपी थे और शशि महतो ने उस पर गोली चलाई और दूसरा आरोपी अमरजीत साह था।

19. इस संदर्भ में, यदि तथाकथित चश्मदीद गवाह पी.डब्लू. 3 द्वारा दिए गए बयान को ध्यान से देखा जाए, तो उसने बयान दिया है कि आरोपी शशि महतो और अमरजीत साह घटना स्थल पर आए और आरोपी शशि महतो ने पिस्तौल निकालकर उसके भाई पर गोली चला दी। पिस्तौल से दो गोलियां चलाई गईं, जिसमें से एक माथे पर और दूसरी बाएं कान के पास लगी। इसलिए उसने शोर मचाया, जिस पर उसकी मां मौके पर आ गई। तब तक उसका भाई होश में था और जब उसकी मां ने उससे पूछा तो उसने कहा कि शशि महतो ने उसे गोली मार दी है, अब वह नहीं बचेगा। तभी पुलिस आई और उसके भाई को अनुमंडलीय अस्पताल रोसड़ा ले गई।

20. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य से यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष की कहानी में बड़े विरोधाभास और विसंगतियां हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पी.डब्लू. 1 और पी.डब्लू. 2 की जांच इस उद्देश्य से की गई थी कि यह साबित किया जा सके कि घायल (मृतक) ने घटनास्थल पर उनके सामने मौखिक मृत्युपूर्व बयान दिया था। यदि ऐसा है, तो हमारा मानना है कि घायल (मृतक) द्वारा इस्तेमाल किए गए वास्तविक शब्दों को रिकॉर्ड में लाया जाना चाहिए और हमलावरों की संख्या और घटना के तरीके के संबंध में कोई असंगति नहीं होनी चाहिए। पी.डब्लू.1, पी.डब्लू.2 और पी.डब्लू.3 के बयान से यह पता चलता है कि पी.डब्लू.1 के मामले के अनुसार घायल (मृतक) ने उसे बताया था कि चार हमलावर थे। पी.डब्लू.2 के अनुसार घायल (मृतक) ने केवल दो हमलावरों के बारे में बताया था।

21. इस स्तर पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पुलिस को प्राप्त सूचना के आधार पर, पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल को पुलिस वाहन में अस्पताल ले जाया गया। अब, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि घायल ने पी.डब्लू.1, पी.डब्लू.2 और पी.डब्लू.3 के समक्ष कहानी सुनाई और उस समय वह होश में था। हालाँकि, जब पुलिस तुरंत उस स्थान पर आई, तो उसने पुलिस को अपना बयान नहीं दिया। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह

सुझाव दे कि पुलिस ने घटनास्थल पर घायल (मृतक) का मृत्युपूर्व बयान दर्ज किया है।

22. अभिलेख से यह भी पता चलता है कि पुलिस को जो सूचना मिली थी, उसे स्टेशन डायरी में दर्ज नहीं किया गया और न ही उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा, जब घायल को पुलिस वाहन में रोसरा स्थित अस्पताल ले जाया गया, तो सूचना देने वाले या मृतक के रिश्तेदारों ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। अभियोजन पक्ष का यह विशिष्ट मामला है कि पी.डब्लू. 3 के माध्यम से घायल लगभग एक घंटे तक रोसरा अस्पताल में था, इस दौरान पुलिस ने घायल का बयान दर्ज नहीं किया क्योंकि वह बोलने की स्थिति में नहीं था। इस स्तर पर, यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब घायल रोसरा अस्पताल में था, तो घायल के रिश्तेदार का फर्दबयान दर्ज नहीं किया गया था और यह मृतक की मृत्यु के बाद यानी 22:15 बजे दर्ज किया गया था। इस स्तर पर, यदि जांच रिपोर्ट की जांच की जाए, तो यह पता चलता है कि इसे 22 घंटे पहले तैयार किया गया था, यानी मुखबिर (पी.डब्लू.2) के फर्दबयान दर्ज होने से पहले। इस स्तर पर यह भी देखना प्रासंगिक है कि रोसरा अस्पताल में घायल (मृतक) को दिए गए उपचार के प्रकार के संबंध में कोई भी दस्तावेज अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट से यह पता चलता है कि सिर पर लगी चोट, जिसके चारों ओर पट्टी बंधी हुई है, गोली लगने की चोट लगती है।

23. इस प्रकार, उपरोक्त के मद्देनजर, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के समक्ष घायल (मृतक) द्वारा दिए गए तथाकथित मौखिक मृत्युपूर्व कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

24. इस प्रकार, अब हमें तथाकथित चश्मदीद गवाह पी.डब्लू.3, जो मृतक की बहन है, द्वारा दिए गए बयान की जांच करनी है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस बात में बड़ी विसंगति है कि घटना के बाद उसने अपने माता-पिता को घटना के बारे में कैसे सूचित किया। इसके अलावा, पी.डब्लू. 3 का विशिष्ट मामला यह है कि अपीलकर्ता शशि महतो ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और उसके बाद छोटू कुमार पर दो गोलियां चलाईं, एक उसके माथे पर लगी जबकि दूसरी बाएं कान के पास लगी। इस प्रकार, यह प्रत्यक्षदर्शी का विशिष्ट मामला है कि वर्तमान अपीलकर्ता ने केवल अपने भाई पर पिस्तौल से गोली चलाई और उक्त दोनों गोलियां मृतक के शव से बरामद की गईं। अब, इस स्तर पर, यदि जांच अधिकारी पी.डब्लू. 5 द्वारा दिए गए बयान की सावधानीपूर्वक जांच की जाए, तो यह पता चलेगा कि अपने

मुख्य परीक्षण में उन्होंने कहा है कि जब वे 20:40 बजे घटनास्थल पर गए थे, तो उन्हें पिस्तौल का एक जिंदा कारतूस मिला था, जिस पर के.एफ. 7.65 उत्कीर्ण था और उन्हें 303 का एक प्रक्षेप्य भी मिला था। उन्होंने जब्ती सूची तैयार की और उक्त दोनों हथियारों को एक्सटेंशन एम और एम/1 के रूप में चिह्नित किया गया है। जांच अधिकारी पी.डब्लू. 5 को वापस बुलाए जाने के बाद, एक बार फिर उसने अपने बयान के पैरा-54 में उक्त पहलुओं के बारे में बताया है। इस प्रकार, पी.डब्लू. 5 के उपरोक्त बयान से यह स्पष्ट है कि 303 का एक प्रक्षेप्य पाया गया था, जिसे पिस्तौल से फायर किया जाना नहीं कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि हमलावरों द्वारा दो अलग-अलग हथियारों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य है कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पी.डब्लू. 4 के अनुसार, शव से दो कारतूस बरामद किए गए थे, जिन्हें सीलबंद और उचित रूप से समतल कंटेनर में पुलिस कर्मियों को सौंप दिया गया था। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त कारतूसों को आवश्यक विश्लेषण के लिए एफ.एस.एल. को नहीं भेजा गया था। जांच अधिकारी ने पिस्तौल का एक जिंदा कारतूस और 303 का एक प्रक्षेप्य एफ.एस.एल. को भेजा, लेकिन एफ.एस.एल. की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पी.डब्लू. 4 ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृत्यु का समय 36 घंटे के भीतर है और जिरह के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया है कि 'मृत्यु का समय 36 घंटे के भीतर' का अर्थ है कि मृतक की मृत्यु 36 घंटे से पहले हुई है। यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष ने उक्त पहलू के संबंध में उक्त गवाह से दोबारा पूछताछ नहीं की है। इस प्रकार, उपर्युक्त स्वतंत्र साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटनास्थल से 303 का एक प्रक्षेप्य बरामद किया गया था। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा तथाकथित चश्मदीद गवाह पी.डब्लू. 3 के माध्यम से प्रस्तुत की गई कहानी कि केवल एक ही हमलावर था जिसने पिस्तौल से दो गोलियां चलाई, पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और अभियोजन पक्ष के सिद्धांत के संबंध में संदेह पैदा होता है।

25. इस स्तर पर, हम वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए सूचनादाता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों की प्रयोज्यता की जांच करना चाहेंगे। रावसाहब उर्फ रावसाहबगौड़ा एवं अन्य (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-23 और 25 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

“23. समग्र रूप से जांचे गए साक्ष्य में सत्यता झलकनी चाहिए। न्यायालय को उन चूकों और विसंगतियों को अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहिए जो अभियोजन पक्ष के मामले की नींव को हिला न दें।

25. किसी गवाह का करीबी रिश्तेदार होना उसकी गवाही को खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं है। यहां तक कि एक “पक्षपाती” या “हितैषी” गवाह की यांत्रिक अस्वीकृति न्याय की विफलता का कारण बन सकती है। “फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओम्नीबस” का सिद्धांत सामान्य अनुप्रयोग में से एक नहीं है। ”

25.1. **धनज सिंह उर्फ शेरा एवं अन्य (उपर्युक्त)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-5 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

“5. दोषपूर्ण जांच के मामले में न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय सावधान रहना चाहिए। लेकिन केवल दोष के आधार पर किसी आरोपी को बरी करना सही नहीं होगा; ऐसा करना जांच अधिकारी के हाथों में खेलने के समान होगा, यदि जांच जानबूझकर दोषपूर्ण है। ”

25.2. **अमर सिंह बनाम बलविंदर सिंह एवं अन्य (उपर्युक्त)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-15 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

“डी.डी.आर. में कुछ चूकों के बारे में अंतिम बिंदु पर आते हुए, यह साक्ष्य में आया है कि पी.डब्ल्यू.4 अमर सिंह के बयान के आधार पर, जिसे पी.डब्ल्यू.14 सरदार सिंह, एस.आई. ने अस्पताल में दर्ज किया था, पुलिस स्टेशन में रात 9.20 बजे एक औपचारिक एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। धारा 155 सी.आर.पी.सी. के अनुसार, एफ.आई.आर. की विषय-वस्तु भी डी.डी.आर. में दर्ज की गई थी, जिसमें गवाहों के नाम, अपराध के हथियार और घटनास्थल शामिल थे और उन्हें फिर से अलग से उल्लेख करना बहुत जरूरी नहीं था। बचाव पक्ष का यह मामला नहीं है कि अभियुक्तों के नाम डीडीआर में नहीं बताए गए। हम यह समझने में विफल रहे कि जांच अधिकारी के लिए खिड़की के वायर गेज को अपने कब्जे में लेना कैसे आवश्यक था, जहां से ए-1 पर गोली चलाने का आरोप है। वायर गेज का अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई असर नहीं था और जांच अधिकारी को इसे खिड़की से काटकर निकालना नहीं चाहिए था, जहां इसे लगाया गया था। यह निश्चित रूप से बेहतर होता यदि जांच एजेंसी ने आग्नेयास्त्रों और खाली कारतूसों को तुलना के लिए फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा होता।

हालांकि, बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट किसी भी मामले में विशेषज्ञ की राय की प्रकृति की होगी और यह निर्णायक नहीं है। आग्नेयास्त्रों और खाली कारतूसों को तुलना के लिए भेजने में जांच अधिकारी की विफलता अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकती है, जब यह प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही से पूरी तरह से स्थापित हो जाता है, जिनकी मौके पर मौजूदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे सभी घटना में गोली लगने से घायल हुए थे। कर्नल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1995) 5 एससीसी 518 में यह माना गया था कि दोषपूर्ण जांच के मामलों में अदालत को साक्ष्य का मूल्यांकन करने में सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन केवल दोष के आधार पर किसी आरोपी को बरी करना सही नहीं होगा और ऐसा करना जांच अधिकारी के हाथों में खेलने के समान होगा यदि जांच जानबूझकर दोषपूर्ण है। पारस यादव और अन्य बनाम बिहार राज्य (1999) 2 एससीसी 126 में जांच एजेंसी की कुछ चूक पर टिप्पणी करते हुए यह माना गया था कि ऐसा हो सकता है कि ऐसी चूक जानबूझकर या लापरवाही के कारण की गई हो और इसलिए अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की ऐसी चूकों के बावजूद जांच की जानी चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि उक्त साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं। राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य (1998) 4 एससीसी 517 में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया था, जब इस न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि ऐसे मामलों में अभियोजन पक्ष की कहानी की जांच अधिकारियों की ऐसी चूक और दूषित आचरण के बावजूद की जानी चाहिए, अन्यथा जानबूझकर की गई शरारत कायम रहेगी और शिकायतकर्ता पक्ष को न्याय नहीं मिल पाएगा और इससे लोगों का न केवल कानून लागू करने वाली एजेंसी पर बल्कि न्याय प्रशासन पर भी विश्वास डगमगा जाएगा। हमारी राय में, उच्च न्यायालय द्वारा यह मानते हुए कि जांच में गड़बड़ी थी, जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, वे ऐसी कोई ठोस वजह नहीं हैं, जिसके आधार पर ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सके और वर्तमान मामले जैसे मामले में, जहां अभियोजन पक्ष का मामला प्रत्यक्ष गवाहों की प्रत्यक्ष गवाही से पूरी तरह से स्थापित हो चुका है, जिसकी पुष्टि मेडिकल साक्ष्य से भी होती है, जांच अधिकारी की कोई भी विफलता या चूक अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध या विश्वास के अयोग्य नहीं बना सकती है।

26. उपर्युक्त निर्णयों से यह कहा जा सकता है कि दोषपूर्ण जांच के मामले में न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन केवल दोष के आधार पर किसी आरोपी को बरी करना उचित नहीं होगा। ऐसा

करना जांच अधिकारी के हाथों में खेलने के समान होगा, जिसकी जांच जानबूझकर दोषपूर्ण है। यदि इस तरह की सोची-समझी या लापरवाही वाली जांच को प्राथमिकता दी जाती है, तो लापरवाही से जांच या चूक की अनदेखी से लोगों का विश्वास और भरोसा डगमगा जाएगा। यह भी कहा जा सकता है कि जहां प्रत्यक्षदर्शियों की प्रत्यक्ष गवाही से अभियोजन पक्ष पूरी तरह से स्थापित हो जाता है, जिसकी पुष्टि मेडिकल साक्ष्य से होती है, जांच अधिकारी की कोई भी विफलता या चूक अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध या विश्वास के अयोग्य नहीं बना सकती। यह भी माना जाता है कि एक गवाह करीबी रिश्तेदार हो सकता है, उसकी गवाही को खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं है।

27. हम उपरोक्त मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के उपरोक्त प्रस्ताव पर विवाद नहीं कर सकते। हालाँकि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वर्तमान मामले में, हालाँकि जाँच अधिकारी ने स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जिनकी घटनास्थल पर उपस्थिति स्वाभाविक होगी, अभियोजन पक्ष द्वारा उनकी जाँच नहीं की गई है। इसके अलावा, एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी, जो मृतक की बहन है, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान अपीलकर्ता यानी शशि महतो ने ही अपनी पिस्तौल से दो गोलियां चलाईं। हालांकि, जांच अधिकारी द्वारा दिए गए बयान से पता चलता है कि उन्होंने पिस्तौल का एक जिंदा कारतूस जब्त किया था, जिस पर के.एफ. 7.65 अंकित था और घटनास्थल से 303 का एक प्रक्षेप्य (सामने का हिस्सा) भी मिला था। इस प्रकार, उपर्युक्त साक्ष्य, जो कि प्रकृति में स्वतंत्र है, से अभियोजन पक्ष का सिद्धांत संदेह पैदा करता है। इस प्रकार, हमारा विचार है कि उपर्युक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों में सूचनादाता के विद्वान वकील को कोई सहायता प्रदान नहीं करेंगे।

28. इस स्तर पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष का यह विशिष्ट मामला है कि पक्षों के बीच भूमि विवाद के कारण यह घटना घटी और अपीलकर्ता का बचाव भी यही है कि भूमि विवाद के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। इस प्रकार, पूरी संभावना है कि भूमि-विवाद के कारण अपीलकर्ता को उक्त घटना में फंसाया गया हो।

29. इसके अलावा, अभियोजन पक्ष का यह मामला है कि घटना रात 20:15 बजे हुई और पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। हालांकि, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि पुलिस को किसने सूचना दी और स्टेशन डायरी में क्या जानकारी लिखी गई थी। इसके अलावा, अगर पुलिस घटनास्थल पर पहले से

ही मौजूद थी और घायल को पुलिस वाहन में ही अस्पताल ले जाया गया था, तो पुलिस ने उसका बयान क्यों नहीं लिया। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

30. यह भी पता चला है कि घायल लगभग एक घंटे तक रोसरा के अस्पताल में रहे, इस दौरान भी पुलिस अस्पताल में मौजूद थी, जिसके बावजूद सूचक का *फर्दबयान* दर्ज नहीं किया गया और घायल की मृत्यु के बाद ही सूचक का *फर्दबयान* दर्ज किया गया। रिकॉर्ड से यह भी पता चला है, यानी जांच अधिकारी पी.डब्लू.5 के बयान से, कि उन्होंने स्वतंत्र गवाहों का बयान दर्ज किया था। हालांकि, अभियोजन पक्ष स्वतंत्र गवाहों की जांच करने में विफल रहा है। अब मुखबिर के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता के डर के कारण ऐसे गवाह अदालत के समक्ष गवाही देने के लिए आगे नहीं आए हैं। हालांकि, हम पाते हैं कि इस तरह के तर्क का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष इस तरह का आवेदन दिया था। केवल इसलिए कि जमानत आवेदन का विरोध करते हुए वर्तमान कार्यवाही में कुछ हलफनामा दायर किया गया था, अपील पर अंतिम रूप से निर्णय लेते समय इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

31. इसके अलावा, केवल इसलिए कि अपीलकर्ता के खिलाफ पूर्ववृत्त रिपोर्ट किए गए हैं, उसकी अपील को खारिज नहीं किया जा सकता है, अगर वर्तमान मामले में उसके खिलाफ कोई सबूत उपलब्ध नहीं है।

32. वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है, जिसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश का विवादित निर्णय दर्ज किया है। इसलिए, उन्हें रद्द करने और अलग रखने की आवश्यकता है और अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए।

33. तदनुसार, सत्र परीक्षण संख्या 177/2013 (रोसरा पी.एस. केस संख्या 207/2011 से उत्पन्न जी.आर. संख्या 976/2011 के अनुरूप) के संबंध में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रोसरा, समस्तीपुर द्वारा पारित दिनांक 12.07.2017 को दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और दिनांक 18.07.2017 को सजा का आदेश रद्द किया जाता है और अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

33.1. चूंकि अपीलकर्ता, अर्थात शशि महतो, जेल हिरासत में है, इसलिए उसे तत्काल जेल हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

34. तदनुसार, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायाधीश)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायाधीश)

के.सी. झा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।